संख्या–2777/पांच–6–2021

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
अपर मुख्य सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2–समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

3–समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–6 **लखनऊ : दिनांक 22 नवम्बर, 2021**

विषय:–The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत है कि The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के प्राविधानों के अनुसार प्रदेश में सभी नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण आवश्यक है। अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत राष्ट्रीय परिषद द्वारा नैदानिक स्थापनों का वर्गीकरण तथा विभिन्न श्रेणियों के लिये मानकों को विकसित किया गया है जिसका विवरण चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट www.clinicalestablishments.gov.in पर उपलब्ध है। अधिनियम की धारा–10 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु चिकित्सा अनुभाग–6 की अधिसूचना सं0–2374/पांच–6–2021, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 द्वारा जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण तथा अधिसूचना संख्या–2375/पांच–6–2021, दिनांक 16 सितम्बर, 2021 द्वारा राज्य नैदानिक स्थापन परिषद के गठन के आदेश निर्गत किये जा चुके है किन्तु अभी तक The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

2– अतः इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(1) नैदानिक स्थापनों के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में वर्तमान प्रचलित व्यवस्था दिनांक 31.12.2021 के पश्चात लागू नही रहेगी। दिनांक 01.01.2022 से सभी नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों/प्राविधानों के अन्तर्गत जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(2) वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत पंजीकृत समस्त नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण की वैधता दिनांक 31.03.2022 को स्वतः समाप्त हो जायेगी और ऐसे सभी नैदानिक स्थापनों

को दिनांक 31.03.2022 से पूर्व अपना रजिस्ट्रीकरण The Clinical Establishment (Registration And Regulation) Act, 2010 के अन्तर्गत कराना आवश्यक होगा।

3— इस प्रयोजनार्थ महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें उ0प्र0 द्वारा सम्बन्धित पोर्टल में यथा आवश्यकता सुधार/संशोधन तत्काल करा लिया जायेगा और दिनांक 15.12.2021 से सम्बन्धित पोर्टल पर नैदानिक स्थापनों के पंजीकरण हेतु आवेदन की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी।

4— इस हेतु सुसंगत नियमावली के अन्तर्गत प्रत्येक जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण तथा राज्य परिषद का खाता किसी राष्ट्रीय कृत बैंक में दिनांक 15.12.2021 से पूर्व अनिवार्य रूप से खुलवा लिया जाय जिससे रजिस्ट्रीकरण/अपील हेतु अपेक्षित धनराशि उक्त खाते में जमा की जा सके।

5— इस हेतु अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ पूर्ण कराते हुए सभी सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारियों/अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों का दिनांक—15.12.2021 से पूर्व प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाएगा।

6— उपरोक्त व्यवस्था का व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाए, जिससे सभी सम्बन्धित व्यक्ति/नैदानिक स्थापन उक्त व्यवस्था से भली—भॉति अवगत हो जाएँ तथा समयान्तर्गत रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन कर सकें।

7— नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण नियमानुसार राष्ट्रीय परिषद द्वारा विकसित मानकों के आधार पर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा। 30 बेड से कम क्षमता वाले नैदानिक स्थापनों की परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल उनका रजिस्ट्रीकरण जनशक्ति, अग्निशमन तथा बायोमेडिकल वेस्ट अधिनियम से सम्बन्धित मानकों के पूर्ण होने पर किया जायेगा। 30 व 30 से अधिक शैय्यायुक्त चिकित्सालयों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में राष्ट्रीय परिषद द्वारा विकसित सभी मानक लागू होगें।

कृपया उपरोक्तानुसार समयबद्ध रूप से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए नैदानिक स्थापनों का रजिस्ट्रीकरण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

22.11.21

(अमित मोहन प्रसाद)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या—2777(1)/पॉच—6—2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2—अपर मुख्य सचिव, आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन।
3—अपर मुख्य सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
4—प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
5—प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
6—अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, उ0प्र0 लखनऊ।
7—महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0।
8—निदेशक आयुर्वेद, उ0प्र0 लखनऊ।
9—निदेशक होम्योपैथी, उ0प्र0 लखनऊ।
10—निदेशक उपचार महानिदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
11—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(प्राणेश चन्द्र शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

Go_2021 amit